राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

र्थनापत्र संख्या :–150 / 2025 दायर तारीख 11 / 06 / 2025

अनवान

01. साधना देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति तंवर (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थीयां

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... विपक्षी

उपस्थित :1. श्री सुनील बाकलीवाल – अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 15 / 09 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां द्वारा जरिये अधिवक्ता सुनील बाकलीवाल ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीया साधना देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति तंवर (रावणा राजपुत) उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) के खातेदारी अधिकारो की आराजी राजस्व ग्राम धनवाड़ा, पटवार हल्का माल का खेड़ा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियों कलां, तहसील बिजौलियों, में खाता संख्या 690 आराजी नंबर 1196/319 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भुमि की खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 हमराह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीया की खातेशुदा आराजीयात आराजी नंबर 1196/319 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि पर भुमि के पुर्वी दिशा में स्थित आम रास्ते के लिये आराजी नं. 319 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पर होते हुए आराजी की उत्तरी मेड़ पर A to B से रास्ता जाता है जिसको प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त आराजीयात पर जाने का एक मात्र रास्ता है परन्तु उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में नही होने से यह प्रार्थनापत्र धारा 251 (क) (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है ताकी भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पक्षकरो के मध्य आने जाने के रास्ते को लेकर नही हो एवं प्रार्थीया स्वयं की आराजी पर आने जाने के रास्ते का उपयोग शातिपुर्वक कर सकें। नजरी नक्शा हमराह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीया की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 690 आराजी नंबर 1196/319 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भुमि ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियों कलां, में स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 20 फीट चौड़ा रास्ता जो कि आराजी नं. 319 रकबा 0.8094 हैक्टेयर के उत्तरी मेड़ से होकर नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी खाता संख्या 690 आराजी नबर 1196/319 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि में जा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी आराजीयात

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाडी ले जाने के लिए उक्त रास्ता सबसे संक्षिप्त (नजदीक) दुरी का होकर प्रार्थीया के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु अवरुद्ध किया जा रहा है।

प्रार्थीया विपक्षीगण की उपरोक्त आराजीयात पर स्थित 20 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मुल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त स्थान पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से मौका पर्चा तरतीब दिलाया जाकर बाद दोनो पक्षों को सुनने के उचित एवं न्यायोचित आदेश 20 फिट चौडा रास्ता आराजी नं. 319 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है में निश्चित रकम जमा करायी जाकर रास्ता कायमी का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थनापत्र दिनांक 11.06.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1496 दिनांक 23.07.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1351 दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम धनवाडा के खाता संख्या 690 पर वाद में दायर अभीष्ट आ.नं. 1196/319 रकबा 1.6511 है0 किस्म बंजड भूमि वादिया साधनादेवी पत्नी राजेन्द्र सिंह तंवर सा० बिजौलियां रहन HDFC बैंक लिमिटेड शाखा बिजौलियां के नाम दर्ज है। उक्त भूमि तक पहुंच मार्ग राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध / दर्ज नहीं है। इसी ग्राम की आ0नं0 317 रकबा 0.7527 है0 भूमि गेमु० रास्ता दर्ज होकर मौके पर प्रचलित रास्ता है। इस रास्ते एवं प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के मध्य बिलानाम आ०नं० 319 रकबा 0.8094 है० किस्म बंजड भूमि स्थित है। जिसमें वादिया / प्रार्थीया 20 फीट चौडाई का रास्ता चाहती है जो रकबा 0.0312 है0 भूमि बनती है। सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित दर्शायी गई है। प्रार्थीया की खातेदारी तक न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो बिलानाम भूमि में स्थित है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आ०नं0 319 स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र, SH, NH, ODR, MDR, ग्रामीण सडक आदि से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम धनवाडा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 319 रकबा 0.8094 है0 में से 0.0312 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 723000/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 22558/–रूपये का दुगुना से 45116/– रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा टेस पेश किया। प्रार्थीयां के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

प्रार्थीयां द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं अधिवक्ता प्रार्थीयां की एकपक्षीय बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीयां के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीयां के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम धनवाडा के खाता संख्या 690 आराजी संख्या. 1196/319 रकबा 1.6511 है0 किस्म बंजड भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की आराजी नं0 319 रकबा 0.8094 है0 में से 0.0312 है० भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम धनवाडा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 319 रकबा 0.8094 है0 में से 0.0312 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 723000/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 22558/–रूपये का दुगुना से 45116/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीयां द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 15/09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा